भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1744
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बीमा दावों की स्थिति
1744. कैप्टन बृजेश चौटाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभावित क्षेत्रों के उन किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अब तक दावे किए हैं और जिनके दावों का निपटान किया गया है और कुल कितने दावों को स्वीकृत और संवितरित किया गया है;
(ख) दक्षिण कन्नड़ जिले में ऐसे कितने किसान हैं जिनके दावों का निपटान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया गया है;
(ग) क्या निधियों के वितरण में कोई विलंब हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के प्रभावित छोटे और सीमांत किसानों के लिए अंतरिम राहत उपाय शुरू करने पर विचार कर रही है;
(घ) दक्षिण कन्नड़ में सुपारी की खेती को प्रभावित करने वाले पीली पत्ती रोग के प्रसार के कारण फसल बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कोई तृतीय पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा की है अथवा फसल हानि मूल्यांकन रिपोर्ट का स्वतंत्र सत्यापन कराया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख)**: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत रिपोर्ट** किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों, लंबित दावों और लाभान्वित किसानों के आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	लाभान्वित आवेदन
	(रु. करोड़ में)			(संख्या में)
2020-21	100.55	100.49	0.06	56114
2021-22	154.19	154.15	0.03	92238
2022-23	356.39	356.23	0.16	143693
2023-24	271.50	270.60	0.89	225772
2024-25	233.17	228.94	4.23	277747
कुल	**1,115.78**	**1,110.41**	**5.37**	**7,95,564**

(ग): बीमा कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश स्वीकार्य दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, योजना के कार्यान्वयन के दौरान, पूर्व में दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जो मुख्यतः (क**) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी करने (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच परिणामी विवादों आदि से संबंधित** थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित हुए दावों को योजना के प्रावधानों के अनुसार समाधान करके निपटान किया जाता है।

(घ): PMFBY एवं RWBCIS योजना मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' पर आधारित है और इसके अंतर्गत किसानों की फसलों को बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर निवारणीय प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। इस मामले में, स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और बीमा कंपनियां राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान करती हैं। यह गणना संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र उपज आंकड़ों और योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित दावा गणना सूत्र के आधार पर की जाती है। चूंकि दावों की गणना उपज में औसत कमी के आधार पर की जाती है, इसलिए फसल नुकसान के विशिष्ट कारणों को दर्ज नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न जिलों में सुपारी की फसल को मानसून और मानसून के बाद के मौसमों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और मौसम की स्थिति के कारण फसल नुकसान की स्थिति में उक्त योजना के तहत बीमा मुआवजा प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष 2024-2025 के लिए RWBCIS के अंतर्गत फसल बीमा का विवरण	कर्नाटक में सुपारी उत्पादक जिलों के लिए
1	प्राप्त आवेदन (संख्या)	5,28,705
2	कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1,73,060.42
3	बीमा राशि (करोड़ रुपये में)	2,215.17
4	भुगतान की गई दावा राशि (करोड़ रुपये में)	344.45
5	लाभार्थियों की संख्या	2,76,742

(ङ): फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों/अध्ययनों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। अनुभव और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों को वर्ष 2018, 2020 और 2023 में व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें।

******